

29/5/19

उक्त प्रार्थना पत्र सन 2014 से चल रहा है काफी लम्बे समय से चलने के कारण अब इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर नीचे न तो भगवता प्रार्थी के पक्ष में प्रबल दृष्टया पाया गया और न ही श्रुविद्या का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया गया।

अतः प्रार्थना पत्र 015 212 RTI Act की

खारिज किया जाता है व पत्रावली फैसल शुमार देखकर सं-क

कमर्सेक मुहवाद् पत्रावली के साथ संलग्न है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी